राज्य सरकार के कार्यकाल में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय एवं अर्जित महत्वपूर्ण उपलब्धियों की बिन्दुवार सूचना

1. आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा English Medium के 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में Child Friendly Furniture उपलब्ध कराया जाना।

- माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा में स्थानीय विद्यालयों की देखरेख में संचालित 37 हजार 400 आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा English Medium के 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में Pre&Primary के बच्चों के लिए 225 करोड़ रुपये की लागत से Child Friendly Furniture उपलब्ध कराया जाना है। जिसके क्रम में प्रतिआंगनबाडी केन्द्र 02 Round Table & 16 Chairs के क्रय एवं आपूर्ति हेतु निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। जिसकी फील्ड स्तर पर आपूर्ति 31-01-2023 तक पूर्ण होगी।

2. मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारम्भ दिनांक 29 नवम्बर 2022 (मंगलवार) को कर दिया गया है।

- बजट घोषणा 2021–22 के बिन्दु संख्या 6.05.0 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म के 2 सैट दिये जाने की घोषणा की गई है।
- राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्रों के लिए यूनिफॉर्म का कलर हल्के नीले रंग की कमीज तथा गहरे भूरे/धूसर रंग की नेकर/पेट तथा छात्राओं के लिए हल्के नीले रंग का कुर्ता/शर्ट तथा गहरे भूरे रंग की सलवार/स्कर्ट एवं गहरे भूरे/धूसर रंग का दुपट्टा (चुन्नी) निर्धारित किया गया है।

क्र.सं.	कक्षा 1 से 5 तक	कक्षा 6 से 8 तक
1	छात्रों के लिए शर्ट एवं पेन्ट/ नैकर	छात्रों के लिए शर्ट एवं पेन्ट
2	छात्राओं के लिए शर्ट एवं स्कर्ट	छात्राओं के लिए कुर्ता सलवार एवं दुपट्टा

- राज्य सरकार राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के 67,58,177 विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक उपलब्ध करवायेगी। जिसमें समग्र शिक्षा परियोजना अन्तर्गत 48,39,758 विद्यार्थियों (All Girls,ST,SC, BPL Boys) हेतु राशि रूपये 290.39 करोड़

अनुमोदित किये गये हैं, इसमें से केन्द्र सरकार व राज्य सरकार का अंश क्रमशः 174.23 करोड़ रुपये एवं 116.16 करोड़ रूपये है।

- शेष रहे 19,18,419 विद्यार्थियों (Gen,OBC,SBC Boy) हेतु राज्य सरकार राशि रूपये 115. 10 करोड़ राज्य मद से वहन कर रही है।
- सभी विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म सिलाई हेतु राज्य सरकार राशि रूपये 94.61 करोड़ राज्य मद से उपलब्ध करवा रही हैं।
- इस प्रकार कक्षा 1 से 8 तक राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म के 2 सैट वितरण हेतु कुल राशि रूपये 500.10 करोड़ में से राशि रूपये 325.87 करोड़ राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

3. मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना

- वित्तीय वर्ष 2022–23 को लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गयी बजट घोषणा अनुसार मिड़े डे मील योजनान्तर्गत राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के विद्यार्थियों को सप्ताह में दो दिवस (मंगलवार एवं शुक्रवार) Powder Milk से तैयार दूध उपलब्ध कराया जायेगा।
- ''पाउडर मिल्क के 1 किलोग्राम की (निर्धारित की गई डिजाईन) पैकिंग में विद्यालयों में आपूर्ति राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (RCDF) द्वारा की जायेगी।''
- कक्षा 1 से 8 तक के छात्र–छात्राओं को दूध नीचे अंकित निर्धारित मात्रा के अनुसार उपलब्ध करवाया जायेगाः–

क्र. सं.	कक्षा स्तर	पाउडर मिल्क की मात्रा (प्रति छात्र)	तैयार दूध की मात्रा (प्रति छात्र)	चीनी की मात्रा
01	प्राथमिक (कक्षा से 5)	15 ग्राम	150 एम.एल.	8.4 ग्राम
02	उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8)	20 ग्राम	200 एम.एल.	10.2 ग्राम

- प्रत्येक विद्यालय में छात्र/छात्राओं को प्रार्थना सभा के तुरन्त पश्चात् दूध उपलब्ध करवाया जायेगा।
- छात्र/छात्राओं को दूध उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) का होगा।

- राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन से प्राप्त पाउडर मिल्क का भुगतान राशि रूपये 400/— प्रति किलो की दर से किया जायेगा।
- विद्यार्थियों को दूध पिलाये जाने से पूर्व 1 अध्यापक व 1 विद्यार्थी के अभिभावक/एस.एम.सी. के सदस्य द्वारा पोषाहार की भांति दूध को चखा जायेगा तथा इसका रजिस्टर भी संधारित किया जायेगा।
- नवीन विद्यालयों में आवश्यक बर्तन क्रय किये जाने हेतु अधिकतम राशि रू.15000/— आवंटित।
- गिलास क्रय हेतु प्रति विद्यार्थी राशि रू. 40/— की दर से अतिरिक्त राशि
- विद्यालयों में दूध गर्म करने के सिलेण्डर की व्यवस्था के लिये राशि रू. 1500/— प्रतिमाह की दर से राशि
- समस्त विद्यालयों (SMC/NGO/AMSS) में दूध तैयार कर गर्म करने, विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने, बर्तनों की साफ–सफाई के लिये SMC द्वारा एक व्यक्ति की सेवाएं ली जा सकती है। उक्त व्यक्ति को राशि रू. 500/— प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जायेगा।
- विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा चीनी स्थानीय बाजार से वास्तविक दर (अधिकतम राशि रू. 45/— प्रति किलोग्राम के अधीन) के अनुसार क्रय की जायेगी।